<u>जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झांसी।</u>

<u>आदेश</u>

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा पत्रांक 535/एसएलएसए–99/2019 (ऋ/सरन) दिनांकित फरवरी 16, 2024 के माध्यम से चीफ, डिप्टी व असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्रों की संख्या अत्यन्त कम होने के कारण उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।

उक्त पत्र के क्रम में लीगल एड डिफेंस काउन्सिल सिस्टम के अन्तर्गत चीफ, डिप्टी व असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल के पदों पर अधिवक्ताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में जिला सूचना अधिकारी, झांसी के माध्यम से जनपद झांसी के समस्त प्रमुख प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित करवायें एवं विज्ञप्ति के अन्तिम तिथि परिवर्तन की सूचना की प्रति जनपद न्यायालय, झांसी के नोटिस बोर्ड पर, बार एसोसिएशन, झांसी के नोटिस बोर्ड पर एवं कलेक्ट्रेट झांसी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवायें तथा जनपद न्यायालय झांसी की वेबसाइट एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट पर भी अपलोड करवायें, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में सेवा प्रदान करने वाले योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति **दिनांक 23.02.2024 समय 05.00 बजे** तक आवेदन कर सकें।

दिनांक–16.02.2024

(अविनाश कुमार सिंह)
अपर जिला जज / सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
झांसी।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झांसी।
2. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व जनपद न्यायालय, झांसी की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सादर प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, झांसी को इस आशय के साथ प्रेषित हो कि कलैक्ट्रेट झांसी के सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
4. अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन, झांसी को अपने सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
5. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, झांसी को अपने सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी, झांसी को इस आशय के साथ प्रेषित जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञाप का प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें तथा विज्ञापन की पेपर कटिंग कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक–16.02.2024

(अविनाश कुमार सिंह)
अपर जिला जज / सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
झांसी।